


22/11/19

वकील कारी उषा प्रति सं. 1, 3, 4, 6 व 8  
की लम्बी-रफिउल्लाही तम्बारा पेश करे  
हेतु वकील कारी को दि० 7/9/17, 26/9/19  
व 14/11/19 को न्यायालय में अंतिक अपहर-  
दिये जाने के उपरान्त भी तम्बारा पेश नहीं  
किये गये। अतः वाद कारी अन्तर्गत धारा  
09 ROS CPE के तहत अर्क लम्बी-  
(NON-compliance) में खार्ज किया जाता  
है। पञ्जाबी नम्बर से कर सेवा दायित्व  
दस्ता है। (सुनकरगका)

2013  
108  
आदेश

  
सहायक कलक्टर  
अलावर